राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःस्थाई भण्डार/कैन्टीन निविदा/2015/275 दिनांक : 22/9/15

निविदा सूचना संख्या 2/2015–16

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर (स्वास्थ्य भवन) में कैन्टीन निविदा एक वर्ष के ठेके हेतु सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभाग के कार्यालयों में कैन्टीन संचालन के न्यूनतम तीन वर्ष के अनुभवी ठेकेदारों से खुली निविदाए आमंत्रित की जाती है।

खुली निविदा विवरण का निम्न प्रकार है :

1	मुख्यालय का नाम	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर
2	अमानत राशि	10,000/– रूपये
3	टेण्डर फार्म मिलने की दिनांक	निविदा प्रकाशन दिनांक से दि. 15.10.2015 को मध्यान्ह 12.00 बजे तक
4	टेण्डर फार्म जमा कराने की दिनांक	दिनांक 15.10.2015 मध्यान्ह 3.00 बजे तक
5	निविदा खोलने की दिनांक	दिनांक 15.10.2015 मध्यान्ह 4.00 बजे

1. निविदाऐं निर्धारित निविदा फार्म में प्रस्तुत करनी होगी, जो आहरण एवं वितरण अधिकारी निदेशालय से दिनांक 15.10.2015 को मध्यान्ह 12.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में रूपये 200/– (अक्षरे दो सौ रूपये मात्र) नकद/बैंकर चैक द्वारा भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते जन सम्पर्क विभाग की वेबसाईट www.dipr.rajasthan.gov.in एवं विभाग की वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in तथा sppp. rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। डाउनलोड कर प्रस्तुत निविदा के साथ निविदा शुल्क राशि 200/– रूपये का अतिरिक्त डीडी/बैंकर चैक निदेशक (जन स्वास्थ्य) के पक्ष में संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा निविदा स्वीकार योग्य नही होगी।
2. पूर्ण निविदा मोहरबन्द लिफाफे में जिस पर **"कैन्टीन निविदा"** अंकित कर भण्डार अधिकारी (स्थाई) के पास दिनांक 15.10.2015 को मध्यान्ह 3.00 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। निविदा के साथ रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये मात्र) की नकद जमा रसीद/डीडी/बैंकर चैक के रूप में जो निदेशक (जन स्वास्थ्य) के पक्ष में देय धरोहर राशि संलग्न की जानी आवश्यक है, जिसके अभाव में निविदा स्वीकार नही की जावेगी।
3. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाऐं दिनांक 15.10.2015 को मध्यान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओ या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 200/-

जलपान गृह (कैन्टीन) का निविदा प्रपत्र

1. निविदा दिनांक 15.10.2015 को मध्याहः 12.00 बजे तक निविदा शुल्क जमा कराकर इस कार्यालय के स्थाई भण्डार अनुभाग से प्राप्त की जा सकती हैं तथा निविदा उक्त दिनांक 15.10.2015 को मध्यान्ह 3.00 बजे तक जमा कराया जाना आवश्यक होगा। समय प्राप्त निविदाऐं उपस्थित निविदादाता के समक्ष उक्त दिनांक 15.10.2015 को सांय 4.00 बजे कमेटी द्वारा खोली जावेगी।

2. निविदादाताओं द्वारा निविदा के साथ रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये मात्र) की धरोहर राशि का ड्राफ्ट निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर के नाम प्रस्तुत करना होगा।

निविदादाता का पूरा नाम ....

पूरा पता ....

....

दूरभाष नम्बर .... मोबाईल नम्बर ....

हस्ताक्षर निविदादाता

स्वास्थ्य भवन स्थित कैन्टीन के ठेके की शर्तें

1– कैन्टीन के लिये निर्धारित स्थल रसोई घर, रसोई स्टोर आदि को जैसी स्थिति में है, विभाग द्वारा ठेकेदार को उपलब्ध करायें जायेंगे, जिसकी उपलब्धता के क्रम में ठेकेदार द्वारा रूपये 1000/– (अक्षरे एक हजार रूपये मात्र) प्रति माह विभागीय कर्मचारी बचत एवं साख सहकारी समिति राजस्थान जयपुर के खाते में जमा कराने होंग। रख रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा ठेका समाप्त होने पर ठेकेदार द्वारा विभाग को चालू व ठीक हालत में वापिस सम्भलवाना होगा अन्यथा सामान कार्यालय से बाहर नहीं ले जाने दिया जावेगा।

2– स्वास्थ्य भवन स्थित कैन्टीन हेतु निदेशक (जन स्वास्थ्य) महोदय द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी मुख्यालय, लेखाधिकारी मुख्यालय, भण्डार अधिकारी, मुख्यालय की एक समिति गठित कर यह समिति समय–समय पर स्वास्थ्य भवन की कैन्टीन की दरों एवं सामग्री की गुणवत्ता पर निगरानी रखेगी।

3– कैन्टीन के स्थान को केवल कैन्टीन के लिए ही प्रयुक्त किया जायेगा।

4– शिकायत पुस्तिका उपयुक्त स्थान पर रखनी होगी ।

5– कैन्टीन कार्यालय समय से एक घन्टा पूर्व एवं एक घंटा पश्चात् तक खुली रखनी होगी। विशेष समारोह अथवा अन्य आदेश होने पर यह अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ सकती है। स्वास्थ्य भवन में आयोजित बैठकों इत्यादि में जलपान की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी।

6– निदेशक (जन स्वास्थ्य) या उनके द्वारा मनोनीत कोई भी अधिकारी किसी भी समय कैन्टीन का निरीक्षण कर सकते है।

7– खाने–पीने के पदार्थ की विक्रय मूल्य सूची उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित करनी होगी । कैन्टीन ठेकेदार द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर वस्तुओं की बिक्री की गयी तो ठेकेदार को प्रति शिकायत पर 200/– रूपयें जुर्माना विभाग में जमा कराना होगा ।

8– खाने–पीने के पदार्थ को स्वच्छ व साफ स्थान पर ढ़क कर रखना होगा तथा मक्खी, मच्छर आदि से सुरक्षित रखना होगा ।

9– ठेकेदार को निम्न व्यवस्था करनी होगी :–
(अ) खाने–पीने का सामान स्वयं ठेकेदार संबंधित कमरो में वितरण करेगा।
(ब) कैन्टीन के कर्मचारी वर्दी में रहेंगे ।
(स) कैन्टीन की क्राकरी ट्रे, जग व ग्लास आदि स्वच्छ एवं उच्च कोटी के होंगे तथा क्राकरी पर स्वास्थ्य भवन का नाम अकिंत होगा।

10– उधार की वसूली की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी ।

11– ठेके की अवधि के दौरान खाद्य सामग्री की किस्म व आकार में भिन्नता नही होगी ।

12– शिकायत की अवस्था में निदेशक (जन स्वास्थ्य) का निर्णय अंतिम होगा। सभी प्रकार की शिकायतो पर निर्णय लेने एवं आवश्यकतानुसार शर्तों में संशोधन करने का अधिकार निदेशक (जन स्वास्थ्य) के पास सुरक्षित रहेगा ।

13– कैन्टीन का ठेका प्रारम्भ में केवल एक वर्ष की अवधि के लिये दिया जायेगा । जलपान सामग्री की गुणवत्ता संतोषजनक पाये जाने पर ठेके की अवधि छः माह तक या नवीन निविदा पूर्ण होने तक आपसी सहमति द्वारा जो भी पहले हो तक आपसी सहमति तक और बढ़ायी जा सकती है, इसके विपरीत शिकायतों के प्राप्त होने पर या कैन्टीन का संचालन ठीक ढंग से न पाये जाने पर ठेका बीच में रदद किया जा सकता है।

14– ठेकेदार को ठेके की निर्धारित शर्तों व दरों पर ही कार्य करना होगा, निविदा/ठेका शर्तों के विपरीत ठेकेदार की कोई शर्त स्वीकार नही होगी।

15– ठेकेदार को सामान की जमानत एवं नुकसान की गारंटी के रूप में बतौर धरोहर राशि रूपये 50,000 {पचास हजार मात्र} निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर के नाम बैंक ड्राफ्ट जमा कराना होगा। सफल ठेकेदार की जमा अमानत राशि रूपयें 10,000 धरोहर राशि के समायोजन योग्य होगी।

16– ठेकेदार को कैन्टीन संचालन हेतु किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी कैंटीन संचालन का दो वर्ष का अनुभव का प्रमाण–पत्र संबंधित विभाग द्वारा जारी किया गया, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

17– विभाग द्वारा कैन्टीन हाल, रसोई घर व स्टोर आदि का किराया नही लिया जायेगा तथा नियमानुसार फूड लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन लेना होगा।

18– सफल निविदादाता की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् एक एग्रीमेन्ट बाण्ड 500/– रूपयें के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर विभाग द्वारा निर्धारित शर्तो का उल्लेख करते हुये भर कर देना होगा। जिस पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की साक्षियों के मय हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

19– ठेकेदार द्वारा कैन्टीन में केवल एल.पी.जी. (व्यवसायिक) गैस का उपयोग ही करना होगा अन्य किसी प्रकार का मिट्टी के तेल का स्टोव एवं कोयले की भट्टी वर्जित होगा। केन्टीन में कार्यरत कर्मचारी के दुर्घटनाग्रस्त होने की जिम्मेदारी स्वयं केन्टीन ठेकेदार की होगी। विभाग की इसमे कोई जिम्मेदारी नही होगी।

20– खाने–पीने की सामग्री का स्तर उच्च कोटि का होना अनिवार्य है। मनोनित खाद्य निरीक्षक को सामग्री कि किस्म की समय–समय पर खराबी पायी गई तो 500/–रूपयें का जुर्माना ठेकेदार को विभाग में जमा कराना होगा। खाद्य सामग्री की शिकायत पुनः आने पर कैन्टीन का ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा तथा जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।

21– ठेकेदार द्वारा कैन्टीन में प्रयोग में लाये जाने वाली समस्त तोलने वाले बाट व तराजु इत्यादि नाप तौल विभाग द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है।

22– समस्त कानूनी कार्यवाहियां पार्टी किसी भी पक्ष {सरकार अथवा संविदाकार} द्वारा संक्षय किये जाने की आवश्यकता पड़े, जयपुर स्थित न्यायालय में ही प्रारम्भ करनी होगी किसी अन्य स्थान पर नहीं।

23– अवकाश के दिवस में सभा कक्षों एवं कमेटी कक्ष में मीटिंग आदि होने पर कैन्टीन को खोलना पडेगा तथा खाद सामग्री आदि की समुचित व्यवस्था करनी होगी, तथा मासिक आधार पर भुगतान करने वाले कर्मचारी समूह को मांग अनुसार चाय व अन्य खाद्य सामग्री को उनके कक्ष में उपलब्ध करवानी होगी।

24– बाजार से लिये गये सामान को उस पर अंकित मूल्य से अधिक कीमत पर नहीं बेचा जायेगा, तथा कानूनन रूप से वर्जित किसी भी सामग्री का विक्रय नहीं किया जावेगा।

25– जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकृत होगी उसी को ही कैन्टीन चलाने का अधिकार होगा, किसी भी दशा में इसको सबलेट नही किया जा सकेगा ।

26– जलपान गृह के ठेकेदार को पानी निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

27– जलपान गृह {कैन्टीन} में आवश्यक फर्नीचर पंखे, कूलर, फ्रिज, वाटर कूलर इत्यादि की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार द्वारा ही की जावेगी ।

28– विद्युत व्यय के वास्तविक व्यय का भुगतान स्वयं ठेकेदार को करना होगा इसके लिये विभाग द्वारा पृथक से सब मीटर लगाकर दिया जावेगा ।

29– निविदायें दिनांक 15.10.2015 को मध्यान्ह 12.00 बजे तक विक्रय की जाकर दिनांक 15.10.2015 मध्यान्ह 3:00 बजे तक प्राप्त की जावेगी तथा उसी दिनांक 15.10.2015 को सांय 4.00 बजे समिति/कमेटी द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख खोली जावेगी। विलम्ब से प्राप्त निविदा स्वीकार योग्य नही होगी।

30– अमानत राशि रूपयें 10,000/– नकद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा निविदा के साथ संलग्न करनी होगी। अमानत राशि के अभाव में किसी भी निविदा पर विचार नही किया जायेगा ।

31– न्यूनतम निविदादाता का निर्धारण सभी मदों के लिये उसकी प्राप्त निविदा दरों व उनके औसत उपभोग के आधार पर किया जावेगा ।

32– अमानत राशि, अनुभव प्रमाण–पत्र व हस्ताक्षरित निविदा शर्तें संलग्न नही होने पर किसी भी निविदा पर विचार नही किया जावेगा ।

33– ठेकेदार को श्रम विभाग/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं की पालना करना आवश्यक रूप से अनिवार्य होगा।

34– निविदा की शर्तो में सन्देह की स्थिति में सामान्य वित्त एंव लेखा नियम, एवं RTPP ACT- एवं RTPP Rules के प्रावधान के अनुसार लागू होगें।

35– 35-The Designation and address of the First Appellate Authority is Director (PH), Medical & Health Services, Rajasthan Jaipur, Govt. of Rajasthan.

The Designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secretary, Medical Health & Family Welfare, Govt. of Rajasthan.

मुझे उपरोक्त सभी 1 से 35 शर्तें मंजुर है तथा उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन करने पर मेरी उपरोक्त 10,000/– {रूपयें दस हजार मात्र} की सिक्योरिटी राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक {जन स्वास्थ्य} चिकित्सा एवं स्वा. सेवाएं राजस्थान, जयपुर को होगा।

(हस्ताक्षर निविदादाता)

फर्म का नाम

दूरभाष संख्या

पूर्ण पता

Annexture I

Name of Tenderer	-	______________
Address	-	______________
Registration/ License No. (Attested copy of license issued to be attached)	-	______________
Year of Establishment	-	______________
Food License (Attached Attested copy)	-	______________
Pan Card No.	-	______________
Man Power available	-	______________

Earnest Money Deposite - Cash/ DD No. __________ Dt.________

for Rs. ________Drwan from ______________________________ (Bank)

Certified that all the terms and conditions mentioned in the Tender Form are acceptable to me/us.

Date :

Signature of Tender's

Annexture "II"

कैन्टीन के लिए निविदादाता द्वारा प्रेषित दरें

क्र.सं.	सामग्री का नाम	दरें अकों व शब्दों में
1	चाय 100 एमएल मय 33 % दूध	
2	काफी 100 एमएल मय 75 % दूध	
3	दूध मीठा 200 एमएल	
4	समोसा 50 ग्राम	
5	कचौडी 50 ग्राम	
6	मिर्ची बड़ा 50 ग्राम	
7	कोफता 50 ग्राम	
8	पकौडी 100 ग्राम	
9	नमकीन 100 ग्राम	
10	दही की लस्सी 200 ग्राम	
11	गाजर हलवा 100 ग्राम	
12	बर्फी 100 ग्राम	
13	गुलाब जामुन 40 ग्राम	
14	छोले 100 ग्राम, 2 बटूरे	
15	पेकेट लंच { दाल, एक सब्जी, चावल, पूडी–6, आचार मय सलाद }	
16	चाय 120 एमएल {सभाकक्ष / कमेटी कक्ष}	
17	काफी 120 एमएल {सभाकक्ष / कमेटी कक्ष}	
18	मिश्रीमावा 100 ग्राम	
19	दाल की पकौडी 100 ग्राम	
20	नमकीन मठरी 100 ग्राम	
21	बेकरी टोस्ट {रस बन्द प्रति नग}	
22	ब्रेड कोफता 100 ग्राम	
23	पपीता / पाईनेपल / बील ज्यूस	
24	आम / सन्तरा / मौसमी ज्यूस	
25	कोल्ड ड्रिंक्स	
26	पेटिज मय सोस	
27	2 पीस इडली साँभर के साथ	

<u>नोट :–</u> उपरोक्त सामग्री के अतिरिक्त सरस के उत्पाद यथा दूध, दही, लस्सी, छाछ, श्रीखण्ड इत्यादि रखने अनिवार्य होगें तथा इनकी बिक्री सरस द्वारा निर्धारित दरों पर ही करनी होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता